राजीव नारायण रैना, जे के सामने ।

आठ. डी. कपूर और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—*उत्तरदाता*

सीडब्ल्यूपीएनओ 2012 की 9410

मई 30, 2012

भारत का संविधान अनुच्छेद, 1950 - अनुच्छेद 226 और 227 - प्रवेश के समय याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई फीस की वापसी के लिए याचिका - एआईसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना - फीस की वापसी जहां उम्मीदवार पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले वापस लेते हैं और सीट की खपत से सीट खाली नहीं रहती है - यहां छात्र ने प्रवेश लिया, सीट पर कब्जा कर लिया और फिर कहीं और अपना करियर बनाने के लिए छोड़ दिया - सीट खाली रही - याचिका खारिज कर दी गई।

हालांकि, वर्तमान मामले में, छात्र ने प्रवेश लिया, सीट का सेवन किया और फिर कहीं और अपना करियर बनाने के लिए छोड़ दिया। मैं यह नहीं देखता कि एआईसीटीई के निर्देश याचिकाकर्ता के बचाव में कैसे आते हैं। वर्तमान मामले में, सीट खाली रह गई। इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत देने और उसकी जेब में पैसा वापस डालने के लिए रिट याचिका में इस तथ्य का कोई खंडन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार शारीरिक परामर्श 31.08.2009 को आयोजित किया गया था, जिसके बाद उसने पहले सेमेस्टर के लिए शुल्क के रूप में 29,460/- रुपये जमा किए। उन्होंने दिनांक 02-09-2009 को सीट वापस कर दी और शुल्क वापस करने का अनुरोध किया। प्रतिदाय के नियमों के ढांचे में शुल्क वापसी के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा 2011 के सीडब्ल्यूपी 1133 में विचार किया गया है; (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09052012 को लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के मामले में निर्णय लिया।

(पैरा 3)

जगदीश मनचंदा, एडवोकेट जोर *याचिकाकर्ता।*

राजीव नारायण रैना, जे।

(एक) इस याचिका में प्रार्थना तीसरे प्रतिवादी इंजीनियरिंग कॉलेज - यूआईईटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में प्रवेश के समय याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई फीस वापस करने के लिए है। दावा था

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16-12-2009 के अपने पत्र (पी-4) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कतिपय अनुरोधों पर विश्वविद्यालय ने दिनांक 17-05-2010 (पी-8) और 14-09-2011 (पी-11) के अपने आगे के पत्रों में अपने रुख को दोहराया। यह दोहराया गया था कि प्रतिदाय के इसी प्रकार के मामले उपभोक्ता मंचों और इस न्यायालय के समक्ष लंबित थे और निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही थी। हालांकि, मूल आधार जिस पर विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता नंबर 2 के अनुरोध को ठुकरा दिया था, वह यह था कि उसके द्वारा खाली की गई सीट खाली रह गई है और पाठ्यक्रम की अवधि के लिए ऐसा ही रहेगा, जिससे विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान होगा।

(दो) यूआईईटी, कुरुक्षत्र में प्रवेश पाने के बाद, याचिकाकर्ता नंबर 2 ने प्रवेश स्वीकार नहीं किया और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना पसंद किया। याचिकाकर्ता ने प्रति वर्ष @ 18% ब्याज के साथ शुल्क की वापसी के लिए परमादेश की मांग की है। अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एआईसीटीई) द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस पर भरोसा करता है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* फीस की वापसी का विषय है। इन अनुदेशों ने शैक्षिक सत्र के वास्तविक आरंभ होने से बहुत पहले ही शुल्क स्वीकार करने की संस्थाओं द्वारा की गई कतिपय अनियमितताओं को दूर किया है; छात्रों को प्रवेश देने के लिए पूर्ण शुल्क एकत्र करना; मूल में स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को बनाए रखना; यदि छात्र विशिष्ट तिथियों तक शामिल होने में विफल रहे तो भुगतान की गई फीस को जब्त करना; कुछ मामलों में अवास्तविक रूप से समय सीमा को आगे बढ़ाना ताकि छात्रों/उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अन्य संस्थानों में प्रवेश लेने के विकल्पों का प्रयोग करने से रोका जा सके। इस सड़ांध को रोकने के लिए, उपरोक्त निर्देश जारी किए गए हैं जो अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले वापस लेने वाले उम्मीदवारों से निपटते हैं; जहां स्कैट की भौतिक भराव या खपत नहीं होती है। यदि स्कैट डॉक्स के इस उपभोग से सीट खाली नहीं रहती है, तो निस्संदेह, शुल्क की वापसी होगी।

(तीन) हालांकि, वर्तमान मामले में, छात्र ने प्रवेश लिया, सीट का सेवन किया और फिर अपना करियर कहीं और बनाने के लिए छोड़ दिया। मैं यह नहीं देखता कि एआईसीटीई के निर्देश याचिकाकर्ता के बचाव में कैसे आते हैं। वर्तमान मामले में, सीट खाली रह गई। इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत देने और उसकी जेब में पैसा वापस डालने के लिए रिट याचिका में इस तथ्य का कोई खंडन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार शारीरिक परामर्श 31.08.2009 को आयोजित किया गया था, जिसके बाद उसने पहले सेमेस्टर के लिए शुल्क के रूप में 29,460/- रुपये जमा किए। उन्होंने दिनांक 02-09-2009 को सीट वापस कर दी और शुल्क वापस करने का अनुरोध किया। में शुल्क वापसी का मुद्दा

2011 के सीडब्ल्यूपी 1133 में इस न्यायालय द्वारा धनवापसी के नियमों के ढांचे पर विचार किया गया है; *(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09052012 को एलके तलवार और अन्य बनाम लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय* के मामले में निर्णय लिया है। निर्धारित प्रस्ताव याचिकाकर्ता के खिलाफ है जब यह कहता है कि:

> *"यूजीसी के 23.4.2007 के पत्र के संदर्भ में, रिफंड का मामला उचित होगा यदि उपभोग की गई सीट और फिर खाली की गई सीट को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा कट ऑफ डेट तक या उससे पहले भर दिया जाता है, तभी रिफंड अधिकार का मामला बन सकता है। वर्तमान मामले में, स्थिति अलग है। लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पाठ्यक्रम छोड़ने के कारण खाली हुई सीट "पूरे शैक्षणिक सत्र में और बाद में किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा खाली रही"। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तथ्य के बयान का खंडन करने के लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई है। इसलिए, कथन की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मेरे पास इस पर अविश्वास करने का कोई सांसारिक कारण नहीं है। प्रतिवादी- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्रों, दिशानिर्देशों, नीति परिपत्रों से बंधा हुआ है, एक विशिष्ट नियम के सामने, श्री बजाज प्रस्तुत करते हैं कि* ***आत्मा प्रकाश खट्टर, सुप्रा*** *में दिया गया निर्णय लागू नहीं होगा क्योंकि इसके विपरीत कोई नियम नहीं निपटा गया था और उस मामले में निर्णय लिया गया था। वास्तव में उस मामले में रिफंड का कोई नियम नहीं था और मामले का फैसला पहले सिद्धांतों पर किया गया था। घर के करीब, श्री बजाज 2010 की* ***सीडब्ल्यूपी संख्या 9711 (भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वाइस प्रिंसिपल बनाम हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसाइटी और अन्य के माध्यम से 6.1.2012 को तय किए गए)*** *में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें यूजीसी पत्र के समान प्रावधान को एआईसीटीई की फीस वापसी के नियमों के रूप में निपटाया गया था। इस न्यायालय ने ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे के माध्यम से बोलते हुए निम्नानुसार कहा: -*
>
> > *".... याचिकाकर्ता-कॉलेज के रुख के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 और 6 द्वारा खाली की गई सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं, इस तथ्य पर आधिकारिक उत्तरदाताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं द्वारा भी विवाद नहीं किया गया है। तदनुसार, एआईसीटीई मानदंडों के अनुरूप होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा जमा किए गए प्रवेश शुल्क को वापस नहीं करने के याचिकाकर्ता-कॉलेज के रुख को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह आदर्श,*
> >
> > *जैसा कि एआईसीटीई द्वारा निर्धारित किया गया है, इसके पीछे एक दान है यानी*

कॉलेज, विशेष रूप से गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज छात्रों से उनके द्वारा लिए गए शुल्क पर जीवित रहते हैं। वे किसी भी स्रोत से सहायता पर निर्भर नहीं हैं और अपने अस्तित्व के लिए वे मुख्य रूप से उम्मीदवारों / छात्रों से एकत्र किए गए शुल्क पर निर्भर हैं... "

इस मामले के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह कानून या तथ्यों या नैतिक आधार पर, पवित्र जिम्मेदारी या पवित्र कर्तव्य के आधार पर प्रार्थना के अनुसार कोई निर्देश दे। "

(चार) इसलिए, श्री मनचंदा द्वारा 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 13308 में श्री *आत्मा, प्रकाश खट्टर और अन्य बनाम आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार और अन्य (पी-16) के रूप में शीर्षक से निर्णय पर रखी गई निर्भरता* अच्छी तरह से योग्य नहीं है।

(पाँच) पूर्वगामी कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है जो खारिज हो जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी